



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
Govt. of Uttar Pradesh Undertaking
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या: 5625-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/13-28-अ0प्र0-07/09

दिनांक: 20.12.2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं0-34-काविनी/पाकालि/29-2000, दिनांक 02 फरवरी 2000 में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत परिषदादेश सं0-965-पी/राविप-30-4पी/86, दिनांक: 19.06.1989, सं0-1598-पी/राविप-30-4पी/86, दिनांक: 21.08.1989 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधोनामित प्रोन्नत सहायक अभियन्ता जिन्होंने कारपोरेशन के आदेश सं0-1060-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2008-4(6)20पी/86(टी0सी0), दिनांक: 07.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपने सीधी भर्ती (अवर अभियन्ता) के संवर्ग के तीनों समयबद्ध वेतनमान दिए जाने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किए हैं, को अवर अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि जो बाद में हो, से सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ACP) सम्बन्धी कारपोरेशन आदेश सं0-835-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/11, दिनांक: 08.09.2011 के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय स्तरान्यन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

(क) तृतीय वित्तीय स्तरान्यन

क्र0सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान सं0	तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि	टिप्पणी
1	संजय शर्मा	97066	4.10.2008	देय तिथि से 2 वर्ष बाद की बढ़ी हुयी तिथि से
2	राकेश कुमार सुमन	2005272	01.07.2011	देय तिथि से
3	धमवीर सिंह	2005279	01.07.2011	देय तिथि से
4	धर्म विजय	2003137	29.06.2011	देय तिथि से
5	ब्रजेश कुमार त्रिवेदी	2012222	01.12.2011	देय तिथि से
6	राज वीर सिंह	2005267	01.08.2011	देय तिथि से
7	चन्द्र शेखर	2005270	12.08.2011	देय तिथि से
8	अशोक कुमार वर्मा	2005284	29.06.2011	देय तिथि से
9	विनोद कुमार	2005265	02.07.2011	देय तिथि से
10	श्याम लाल	2005282	23.06.2011	देय तिथि से
11	धर्मेन्द्र आनन्द	2005445	30.06.2011	देय तिथि से 1 वर्ष बाद की बढ़ी हुयी तिथि से
12	राज कुमार निगम	2012084	20.09.2012	देय तिथि से
13	दूध नाथ यादव	2012044	14.09.2012	देय तिथि से
14	रियाज अहमद	2012045	16.09.2012	देय तिथि से
15	अशोक कुमार श्रीवास्तव	2012043	16.09.2012	देय तिथि से
16	मनोज कुमार रस्तोगी	2012087	18.10.2012	देय तिथि से
17	बहादुर राम	2005285	28.09.2012	देय तिथि से

अधोनामित अभियन्ता अधिकारियों को तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन स्वीकृत करने हेतु अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में उनके नाम के सम्मुख अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ प्राप्त होने/अंकित प्रतिबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त विचार किया जाएगा :-

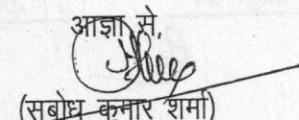
क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम सर्वश्री	अभिज्ञान सं०	तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि	टिप्पणी
1	उदय प्रताप	2003105	18.10.08	वर्ष (2003-04), दि० (01.04.04 से 22.11.04) एवं (10.12.04-31.03.05) तक की वा०गो०आ० सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से एक वर्ष बाद की बढ़ी हुई तिथि से।
2	राज कुमार	2005273	19.06.2011	दि० 11.08.2009 से 31.03.2010 तक की वा०गो०आ० सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से
3	ब्रह्मानन्द	2005281	03.07.2011	दि० 01.04.2008 से 31.03.2009 तक की वा०गो०आ० सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से
4	राधाचरण सक्सेना	2012047	15.09.2012	दि० 15.08.2008 से 19.01.2009 एवं 01.12.2011 से 31.03.2012 तक की वा०गो०आ० सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से
5	गिरीराज प्रकाश श्रीवास्तव	2012083	20.09.2012	दि० 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की वा०गो०आ० सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-5625(1)-अ०प्र०-07/पाकालि/2013, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
 - 2 मुख्य अभियन्ता (पारेषण) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - 3 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - 4 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पा०का०लि०।
 - 5 समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०।
 - 6 उप सचिव (अ०प्र०-02बी/03/04), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 7 अधिशाषी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं० 407, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 8 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अवधि में देय है उन्हें समयबद्ध वेतनमान का लाभ (अपुनरीक्षित वेतनमान में) उनसे सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही दें एवं उन्हें वर्तमान संवर्ग में यदि कोई समतुल्य समयबद्ध वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया गया हो तो उसे निरस्त मानते हुए तदनुसार पूर्व में अधिक आहरित धनराशि का समायोजन अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 9 अनुभाग अधिकारी, अ०प्र०-02बी/03/04 अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बन्धित की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
 - 10 सम्बन्धित अधिकारी।
 - 11 कट फाइल/गार्ड फाइल।



आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उपसचिव